राजस्थान–सरकार

कार्यालय : महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज, 'कर भवन' अजमेर

क्रमांक :– एफ–1 (5) लेखा/रा.रि./विविध/2015–16/ 255–854 दिनांक 3/12/2015

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
   वित्त भवन, जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत्त–कार्यालय।
3. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन),
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग।
4. समस्त पदेन उप पंजीयक।

विषय :– राजस्व रिफण्ड के प्रकरणों में राजस्व प्रतिदाय की स्वीकृत्ति की सीमा में संशोधन के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग के पत्रांक प.1 (4) वित्त/सावितेनि/2006 दिनांक 06.08.2015 (परिपत्र संख्या–11/2015) द्वारा सामान्य वित्तीय लेखा नियम खण्ड–I के पार्ट–III (Delgation of Financial Powers) में संशोधन किया गया है। पार्ट–III के पार्ट–II के आइटम संख्या–12 (A) में राजस्व प्रतिदाय के प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹ 10,000/– तक कार्यालयाध्यक्ष, ₹ 35,000/–तक क्षेत्रीय कार्यालय तथा ₹ 2,00,000/– तक विभागाध्यक्ष को राजस्व प्रतिदाय स्वीकृत्त करने की वित्तीय शक्तियाँ सामान्य वित्तीय लेखा नियम पार्ट–III के नियम–255 की पालना सुनिश्चित करने की शर्त्त पर प्रदान की गई है।

इससे पूर्व राजस्व प्रतिदाय के प्रत्येक मामलों में ₹ 10,000/– तक क्षेत्रीय कार्यालय तथा ₹ 50,000/– तक विभागाध्यक्ष को राजस्व प्रतिदाय स्वीकृत्त करने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान थी।

अतः **आपको निर्देशित किया जाता है कि :–**

1. **यदि राजस्व रिफण्ड के प्रत्येक प्रकरण में रिफण्ड योग्य राशि ₹ 10,000/– है, तो स्वीकृत्ति हेतु कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है।**
2. **यदि राजस्व रिफण्ड के प्रत्येक प्रकरण में रिफण्ड योग्य राशि ₹ 35,000/– है, तो स्वीकृत्ति हेतु वृताधिकारी सक्षम है।**
3. **यदि राजस्व रिफण्ड के प्रत्येक प्रकरण में रिफण्ड योग्य राशि ₹ 35,000/– से अधिक है, तो राशि ₹ 2,00,000/– तक के राजस्व प्रतिदाय की स्वीकृत्ति विभागाध्यक्ष स्तर पर जारी होगी तथा राशि ₹ 2,00,000/– से अधिक होने पर प्रकरण स्वीकृत्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।**

राजस्व रिफण्ड के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिफण्ड प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित कराते समय वांछित सूचनाऐं एवं चैकलिस्ट पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही प्रेषित कराई जावें। जिन प्रकरणों में राजस्व प्रतिदाय राशि ₹ 2,00,000/–से अधिक है, उनके प्रकरण दो प्रति में प्रेषित कराया जावे।

पंजीयन शुल्क में रिफण्ड हेतु जिला पंजीयक सक्षम होने से प्रकरण जिला कलक्टर को प्रेषित करायें जावें।

(के.बी.गुप्ता)
महानिरीक्षक